अनुस्मारक-1
क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office
पंचदीप भवन,ई.डी.सी.प्लॉट सं.23,पाट्टो,पणजी,गोवा-403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail :rd-goa@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सं. 32-ए-50/21/1/2023-रा.भा. दिनांक : 12.11.2024

परिपत्र

केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के इस कार्यालय के सभी प्रशिक्षार्थी स्थापना शाखा के वर्ष 2024 के कार्यालय आदेश 134, दिनांक 05.09.2024 तथा राजभाषा शाखा के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.10.2024 का संदर्भ लें जिनके अंतर्गत आपको यह स्पष्ट निदेश दिए गए थे कि आप दिनांक 15.10.2024 तक अपने अभ्यास किए गए पृष्ठों की प्रति राजभाषा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा को भिजवाएँ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 23.10.2024 से 25.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय गोवा में आयोजित तीन दिवसीय संपर्क कार्यक्रम में भी आपको प्रशिक्षक अधिकारी तथा राजभाषा शाखा की अधिकारी द्वारा बार-बार कहा गया कि संबन्धित किट(प्रथम) की अभ्यास प्रतियाँ एक सप्ताह के भीतर तथा उसके बाद के अभ्यास यथाशीघ्र राजभाषा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा को भिजवाना सुनिश्चित करें परंतु यह पाया गया है कि बार-बार कहने के बावजूद भी प्रशिक्षार्थियों द्वारा किए गए अभ्यास की प्रति नहीं भेजी जा रही है बल्कि किसी भी कार्मिक से प्रतियाँ प्राप्त नहीं ही है।

हिन्दी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी कार्मिकों को सलाह दी जाती है कि वे अविलंब(दिनांक 14.11.2024 तक अवश्य) अभ्यास की गई प्रथम किट(पूर्ण) की प्रतियाँ(हार्ड तथा सॉफ्ट प्रति दोनों) राजभाषा शाखा को भिजवाने का श्रम करें।

हेमंत

(हेमंत कुमार)
उप निदेशक (राजभाषा (प्रभारी))

प्रति:

1. क्षेत्रीय कार्यालय गोवा के सभी कर्मचारी जो केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से हिन्दी टंकण प्रशिक्षणरत हैं।

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा के अधीनस्थ सभी शाखा कार्यालयों के शाखा प्रबन्धकों को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों(हिन्दी टंकण प्रशिक्षणरत) को उपरयुक्त का अनुपालन करने के कड़े आदेश दें।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा की सभी शाखाओं के शाखाधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों(हिन्दी टंकण प्रशिक्षणरत) को उपरयुक्त का अनुपालन करने के कड़े आदेश दें।
3. वैयक्तिक सहायक प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा, क.रा.बी. निगम को इस परिपत्र को सभी संबंधितों को ईमेल करने हेतु प्रेषित।
4. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम, गोवा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।